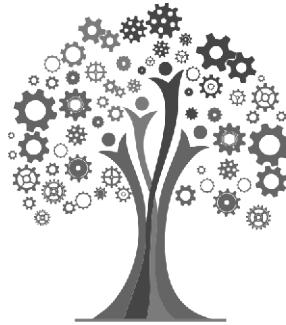




मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
द्वारा संचालित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना



उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन, भोपाल

Ph.: 0755-2558765 www.mpmsme.gov.in, ic-mp@nic.in

अनुक्रमणिका

1.	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में शासन का आदेश दिनांक 16.11.2017	1-7
2.	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका के संबंध में शासन का आदेश दिनांक 4.12.2017	8
3.	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की मार्गदर्शिका परिशिष्ट -1	9-15
4.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका परिशिष्ट -2	16-28

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर,

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-6/2014/अ-ग्यारह दिनांक 21.07.2014, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 09.06.2016 एवं एफ 2-2/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 29.08.2016 को अधिक्रमित करते हुए (1) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, (2) मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, (3) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं (4) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है :

1.1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजनान्तर्गत उद्यमी के प्रशिक्षण का भी प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

- (i) परियोजना लागत : रुपये 10 लाख से 2 करोड़ तक ।
- (ii) पात्रता :
- (क) आयु : 18-40 वर्ष ।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- (ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
- (iii) वित्तीय सहायता :
- (क) मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत। (अधिकतम रुपये 12 लाख)
- (ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20

- (ख) ब्याज अनुदान : प्रतिशत। (अधिकतम रुपये 18 लाख)
- (ग) गारंटी फीस (CGTMSE) : परियोजना के पूँजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष)
- (iv) प्रशिक्षण : उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (v) पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।
- (vi) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

1.2 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

योजना का लाभ केवल कृषक पुत्री/पुत्र द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

- (i) परियोजना लागत : रुपये 10 लाख से 2 करोड़ तक।
- (ii) पात्रता :
- (क) आयु : 18-40 वर्ष।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।
- (ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
- (घ) किसान पुत्री/पुत्र : किसान पुत्री/पुत्र वह होंगे जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो।

(iii) वित्तीय सहायता :

(क)मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत। (अधिकतम रुपये 12 लाख)
(ब) BPL हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20 प्रतिशत। (अधिकतम रुपये 18 लाख)

(ख) ब्याज अनुदान : परियोजना के पूँजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष)

(ग) गारंटी फीस (CGTMSE) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

(iv) प्रशिक्षण : उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(v) पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएँ-एगो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिशू कल्चर, कैटल फीड, दाल मिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शॉर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाएँ।

(vi) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा।

1.3 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान विभिन्न विभागों के लिए समान रहेगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

- (i) परियोजना लागत : रुपये 50,000 से 10 लाख तक ।
- (ii) पात्रता :
- (क) आयु : 18-45 वर्ष ।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- (ग) आय सीमा : कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
- (iii) वित्तीय सहायता :
- (क) मार्जिनमनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.00 लाख) ।
- (ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) /महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख) ।
- (स)- अतिरिक्त प्रावधान -
- (i) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3.00 लाख) ।
- (ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1.00 लाख) की पात्रता है ।
- (ख) ब्याज अनुदान : परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रु. 25,000 प्रतिवर्ष)
- (ग) गारंटी फीस (CGTMSE/ CGFMU) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ।

- (iv) पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE/CGFMU अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।
- (v) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

1.4 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

यह योजना के अन्तर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा /या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होंगे:-

- (i) परियोजना लागत : अधिकतम रुपये 50,000 ।
- (ii) पात्रता :
- (क) आयु : 18-55 वर्ष ।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता : कोई बंधन नहीं ।
- (ग) आय श्रेणी : राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी)
- (iii) वित्तीय सहायता :
- (क) मार्जिन मनी सहायता : (अ) सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत ।
- (ब) बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ावर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/ अल्पसंख्यक/निःशक्तजन/विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 15,000 ।

(iv) पात्र परियोजनायें : केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, आदि ।

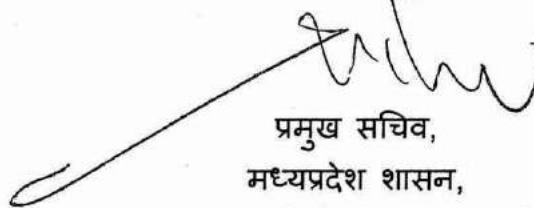
(v) योजना का क्रियान्वयन : इस योजना का क्रियान्वयन- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

2. प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जावे तथा तदनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण किया जावे। विभागों का प्रयास रहे कि औसत प्रति हितग्राही पूंजी निवेश, योजनाओं की परियोजना लागत की अधिकतम राशि के 50 प्रतिशत से अधिक रहे।

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जावे। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इन योजनाओं के समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु नोडल विभाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
 3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
 4. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।
 5. निज़ सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी ,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्वतंत्र प्रभार), भोपाल।
 6. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु।
 7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
 8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
 9. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
 10. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
 11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर,
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 4.12.2017

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय:-मन्त्रि-परिषद से अनुमोदित स्वरोजगार योजनाओं की मार्गदर्शिका।

संदर्भ:-उद्योग संचालनालय की टीप क्रमांक 7283/स्वरो, दिनांक 10.11.2017

राज्य शासन एतद् आदेश से, विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.11.2017 से जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक 3 के अनुक्रम में आपके द्वारा उक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव अनुसार "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना" एवं "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार प्रक्रियाओं संबंधी मार्गदर्शिका हेतु अनुमोदन प्रदान करता है।

2/ वित्त विभाग द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 669/आर-1086/ब 2-चार, दिनांक 04.12.2017 से उक्त प्रस्ताव हेतु सहमति प्रदान की गई है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(धनंजय सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 4.12.2017

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
की ओर उक्त संलग्नों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(धनंजय सिंह)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

1. **योजना का नाम :** मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।
2. **योजना का प्रारंभ :** 01 अगस्त, 2014 (यथा संशोधित 16 नवम्बर, 2017)
3. **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।
4. **योजना का क्रियान्वयन :** योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जावेगा।
5. **पात्रता :**
 - 5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
 - 5.2 आवेदक :
 - 5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
 - 5.2.2 न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
 - 5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
 - 5.2.4 आय सीमा का कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
 - 5.2.5 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
 - 5.2.6 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
 - 5.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
 - 5.3 योजना केवल उद्योग(विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं, के लिए मान्य होगी, परन्तु व्यापारिक गतिविधियां, समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।
6. **वित्तीय सहायता :**
 - 6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये 02 करोड़ होगी।
 - 6.2 इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रक्रिया :

7.1 आवेदक द्वारा एमपी-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण/अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जायेगी।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजनान्तर्गत गठित जिला टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी –

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
4.	कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7.	संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि	सदस्य
8.	आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य-सचिव

टीप :- आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.3 जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेस) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

- 8.5 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD.MSME & NFS. 12/06.02.31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कंडिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में, रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छः सप्ताह में) के अन्तर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिये।
- 8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।
- 8.7 योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला टास्कफोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. प्रशिक्षण :

- 9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।
- 9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :

- 10.1 सामान्य वर्ग हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी तथा शेष मार्जिनमनी की राशि हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।
- 10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- 10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप : आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वे अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11. वित्तीय प्रवाह :-

- 11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि क्लेम की जायेगी। इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।
- 11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

- 11.3 ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 विविध:

- 12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है, परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।
- 12.2 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) अंतर्गत मान्य हैं।
- 12.3 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 12.4 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनान्तर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- 12.5 जिला टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।
- 12.6 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सक्षम होगा।

13 परिभाषाएँ:

- 13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
- 13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।
- 13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है। प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)।
- 13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेस (CGTMSE) योजना अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है।
- 13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (Moratorium) कहलाती है।
- 13.6 परिवार से आशय :
- 13.6.1 आवेदक के अविवाहित होने पर माता-पिता एवं अविवाहित एवं आश्रित भाई-बहन से है।
- 13.6.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

(रु. 10 लाख से 2.00 करोड़ तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता :
.....
ब. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता :
द. आवेदक का दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
4. शैक्षणिक योग्यता :
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. अ. जन्म तिथि :
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
ब. आवेदन दिनांक को उम्र : वर्ष.....माह.....दिन.....
6. अ. आवेदक की श्रेणी
(i) आवेदक बीपीएल श्रेणी में है : हाँ/नहीं
(ii) आवेदक का वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./
अ.पि.व. (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/अल्पसंख्यक/
निःशक्तजन/विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्कड़ जनजाति)
ब. लिंग (पुरुष/महिला) :
7. अ. स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का उद्योग/
व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होने संबंधी विवरण :
ब. स्वयं एवं परिवार का विगत 03 वर्षों का
आयकर संबंधी विवरण :
8. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम :
(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)
ब. परियोजना का प्रकार :
(विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई)

9. अ. परियोजना लागत :
- (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) :
- (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा :
- (iii) कार्यशील पूंजी :
- योग :
- ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध
- (i) मार्जिन मनी सहायता :
- (ii) आवेदक का अंश दान :
- (iii) बैंक से अपेक्षित ऋण राशि :
- योग :
10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही :
- अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता है
11. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया :
- हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण
12. अन्य कोई विवरण :

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 12 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
2. राशन कार्ड/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक)
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
6. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
7. बीपीएल संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
8. आय सीमा के संबंध में स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होने संबंधी शपथ-पत्र तथा स्वयं एवं परिवार की विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणियां ।
9. अन्य।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1. **योजना का नाम :** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
2. **योजना का प्रारंभ :** 01 अगस्त, 2014 (यथा संशोधित 16 नवम्बर, 2017)
3. **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।
4. **योजना का क्रियान्वयन :** स्वरोजगार योजनाएं संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा। स्वरोजगार योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी करेंगे।
5. **पात्रता :**
 - 5.1 योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात् योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
 - 5.2 आवेदक :
 - 5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
 - 5.2.2 न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर)
 - 5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
 - 5.2.4 आय सीमा का कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
 - 5.2.5 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
 - 5.2.6 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
 - 5.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
 - 5.3 योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो (CGTMSE/CGFMU) अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है, के लिए मान्य होगी, परन्तु समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।
6. **वित्तीय सहायता :**
 - 6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक होगी।

- 6.2 अ. सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख)
- ब. बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख)
- स. अतिरिक्त प्रावधान-
- (1) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख)
- (2) भोपाल गैस पीडित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख) की पात्रता है।
- 6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष)।
- 6.4 इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रक्रिया :

- 7.1 आवेदक द्वारा एमपी-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
- 7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण/अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य परियोजना प्रतिवेदन) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

- 8.1 सभी संबंधित विभागों में प्राप्त आवेदन पत्र 30 दिवस के अन्दर योजनान्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
- 8.2 विभागों को चयन समिति गठित करने का अधिकार होगा। विभागीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी:-
- | | |
|--|--------------|
| 1. संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख | - अध्यक्ष |
| 2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 3. कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 4. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 5. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 6. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 7. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 8. संबंधित विभाग के योजना प्रभारी | - सदस्य-सचिव |

8.3 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों के निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 आवेदन पत्रों का निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समीक्षा समिति गठित होगी:-

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
4. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक	सदस्य
5. सेडमेप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
6. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
7. जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
8. संबंधित विभागों के जिला कार्यालय प्रमुख	सदस्य
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	समन्वयक

टीप:- आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.5 उद्योग/सेवा/व्यवसाय संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE/CGFMU) के माध्यम से दी जावेगी। अतः बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.6 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD.MSME & NFS.12/06.02.31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कंडिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में, रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छः सप्ताह में) के अन्तर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिये।

8.7 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.8 योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला स्तरीय समीक्षा समिति के द्वारा की जावेगी।

9. प्रशिक्षण :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिन मनी सहायता एवं ऋण अदायगी :

- 10.1 सामान्य वर्ग के लिए : परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. एक लाख) मार्जिन मनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।
- 10.2 बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख)।
- 10.3 अतिरिक्त प्रावधान—
 - 10.3.1 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख)।
 - 10.3.2 भोपाल गैस पीडित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख)।
- 10.4 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- 10.5 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप:- आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वे अधिक से अधिक समय नियत करे लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11. वित्तीय प्रवाह :

- 11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात परियोजना लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि क्लेम की जायेगी। इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।
- 11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।
- 11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12. विविध :

- 12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।
- 12.2 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE/CGFMU) अंतर्गत मान्य है।

- 12.3 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 12.4 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गई सहायता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
- 12.5 जिला स्तरीय समीक्षा समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।
- 12.6 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सक्षम होगा।

13. परिभाषायें :

- 13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
- 13.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान के रूप में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिन मनी सहायता कहलाती है।
- 13.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है। प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)।
- 13.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फार माईक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेस (CGTMSE) योजना अथवा क्रेडिट गारंटी फण्ड फार माईक्रो यूनिट्स (CGFMU) अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारंटी शुल्क कहलाती है।
- 13.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium) कहलाती है।
- 13.6 परिवार से आशय :
 - 13.6.1 आवेदक के अविवाहित होने पर माता-पिता एवं अविवाहित एवं आश्रित भाई-बहन से है।
 - 13.6.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

(रु. 50 हजार से 10 लाख तक की परियोजना हेतु आवेदन-पत्र)

फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. अ. निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता :
.....
- ब. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
- स. प्रस्तावित इकाई स्थल का पता :
- द. इकाई का दूरभाष/मोबाइल नम्बर :
4. शैक्षणिक योग्यता :
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. अ. जन्म तिथि :
(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- ब. आवेदन दिनांक को उम्र : वर्ष.....माह.....दिन.....
6. अ. आवेदक की श्रेणी
(i) आवेदक बीपीएल श्रेणी में है : हाँ/नहीं
(ii) आवेदक का वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा/
अ.पि.व. (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/अल्पसंख्यक/
निःशक्तजन/विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति)
(iii) आवेदक भोपाल गैस पीड़ित परिवार से है : हाँ/नहीं
- ब. लिंग (पुरुष/महिला) :
7. अ. स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का उद्योग/व्यापार
क्षेत्र में स्थापित नहीं होने संबंधी विवरण
- ब. स्वयं एवं परिवार का विगत 03 वर्षों का आयकर संबंधी विवरण
8. अ. प्रस्तावित गतिविधि का नाम :
(परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)
- ब. परियोजना का प्रकार :
(विनिर्माण इकाई/सेवा इकाई/व्यवसाय)

9. अ. परियोजना लागत :
- (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) :
- (ii) मशीन/उपकरण/साज-सज्जा :
- (iii) कार्यशील पूंजी :
- योग :
- ब. प्रस्तावित वित्तीय प्रबंध
- (i) मार्जिन मनी सहायता :
- (ii) स्वयं की मार्जिन मनी :
- (iii) बैंक से अपेक्षित ऋण राशि :
- योग :
10. प्रस्तावित बैंक शाखा का नाम जहाँ हितग्राही :
- अपना ऋण प्रकरण भेजना चाहता है
11. पूर्व में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया :
- हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो तो उसका विवरण
12. अन्य कोई विवरण :

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमांक 1 से 12 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

1. परियोजना प्रतिवेदन (संलग्न प्रारूप में)
2. मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
टीप :- अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में होने पर, क्रीमीलेयर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भोपाल गैस पीड़ित परिवार संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
9. भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा
10. मशनरी /उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन
11. आय सीमा के संबंध में स्वयं एवं पारिवारिक पृष्ठ भूमि का उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होने संबंधी शपथ-पत्र तथा स्वयं एवं परिवार की विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणियां।
12. अन्य।

परियोजना - प्रारूप

(रुपये 50 हजार से 10 लाख तक के उद्योग/सेवा परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :
2. उद्योग/सेवा उद्यम का नाम व पता :
3. उत्पाद/सेवा का नाम व परिचय एवं :
बाजार में मांग की संभावना :
.....

4. प्रस्तावित क्षमता (मासिक) :

क्र.	नाम वस्तु/सेवा कार्य	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
योग			

5. पूंजी विनियोजन :

अ. स्थिर पूंजी

- (i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :
- (ii) मशीन एवं साज-सज्जा

क्र.	मशीन/साज-सज्जा	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
योग			

ब. कार्यशील पूंजी

(i) कच्चा माल

क्र.	कच्चे माल का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
योग			

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्र.	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1	व्यवस्थापक		
2	कुशल कारीगर		
3	अकुशल कारीगर		
4	अन्य		
योग			

(iii) अन्य व्यय

क्र.	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस/स्टेशनरी/विज्ञापन	
2	विद्युत/पानी	
3	किराया	
4	अन्य आकस्मिक व्यय	
योग		

6. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii+iii) :
7. उत्पादन लागत प्रतिमाह
- (i) कार्यशील पूंजी :
- (i) मशीन आदि पर घिसावट :
- (स्थिर पूंजी का 10 प्रतिशत)
- (iii) कुल पूंजी पर ब्याज :
- योग :
8. लाभ/हानि प्रतिमाह
- (i) सेवा/उत्पादन विक्रय से आय :
- (ii) उत्पादन लागत (-) :
- शुद्ध-लाभ :
9. वित्तीय आवश्यकताएं
- (i) स्थिर पूंजी हेतु :
- (ii) कार्यशील पूंजी हेतु :
- योग :
10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध
- (i) मार्जिन मनी सहायता :
- (ii) बैंक से ऋण :
- योग :
11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि
- (मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर

परियोजना - प्रारूप

(रुपये 50 हजार से 10 लाख तक के व्यवसाय परियोजना हेतु)

1. आवेदक का नाम व पता :
2. व्यवसाय का नाम व पता :
3. प्रस्तावित व्यवसाय की संभावना :
.....

4. पूंजी विनियोजन :-

अ. स्थिर पूंजी

(i) भूमि/भवन (स्वयं की/किराये पर) :

(ii) दुकान एवं साज-सज्जा

क्रमांक	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
योग			

ब. कार्यशील पूंजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्रमांक	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
योग			

(ii) अन्य व्यय

क्रमांक	विवरण	अनुमानित व्यय
1	स्टेशनरी/विज्ञापन/पोस्टेज	
2	विद्युत/पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूंजी पर ब्याज आदि	
योग		

5. कार्यशील पूंजी का योग (i+ii)

6. लाभ/हानि प्रतिमाह

(i) व्यवसाय की औसत बिक्री से लाभ :

(ii) व्यवसाय पर खर्च (-) :

शुद्ध-लाभ :

7. वित्तीय आवश्यकताएं

(i) स्थिर पूंजी हेतु :

(ii) कार्यशील पूंजी हेतु :

योग :

8. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) मार्जिन मनी सहायता :

(ii) बैंक से ऋण :

योग :

9. ऋण पुनर्भुगतान अवधि

(मासिक/त्रैमासिक)

आवेदक का नाम एवं
हस्ताक्षर